28

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-428-कार्मिक/पाकालि-29/2001-14-कार्मिक/87 दिनांक-24 मार्च, 2001।

विषय:-विलम्ब से चयन होने की स्थिति में पात्रता सूची में सम्मिलित होने हेतु चयन वर्ष की जुलाई की प्रथम तिथि को निर्धारित योग्यता की पूर्णता के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने एवं पोषक संवर्ग में अर्हकारी सेवा की गणना किये जाने की प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1327-कार्मिक/रा0विप-29/96-14कार्मिक/87, दिनांक 11.7.96 एवं पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-440-कार्मिक/पाकालि-29/2000-14कार्मिक/87, दिनांक 01 जून, 2000 में उ0प्र0शासन के आदेश संख्या-555/का-4-1-1993, दिनांक 15.4.93 के प्रस्तर 12 में उल्लिखित निम्न उद्धृत व्यवस्था को जोड़ने/अंगीकृत किये जाने के एतद्द्वारा सहर्ष आदेश किये जाते हैं:-

"पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किये जायें जो संबंधित चयन वर्ष (अर्थात उस चयन वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए चयन प्रस्तावित है) की प्रथम जुलाई को, तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार, पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें (यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा, विभाग में निर्धारित अर्हकारी सेवा आदि जो भी संबंधित सेवानियमावली में निर्धारित हो) पूरी करते हों व सेवा में हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता की शर्तें पूरी करता हो, पर विलम्ब से चयन सम्पन्न होने के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो, तब भी उसका नाम यथा स्थान पात्रता सूची में रखा जाये, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2/84-का-1, दिनांक 25 जून, 1984 में स्पष्ट किया जा चुका है।"

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

परशुराम सिंह
निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

या–428 (1) (का०विनी/पाकालि–29/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, 4–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
- महाप्रबन्धक, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (अ0प्र0–01), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनकी टिप्पणी दिनांक 8.11.2000 के संदर्भ में।

0– समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

1– कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 17.02.2001 में मद संख्या–अठारह(21)/2001 पर लिये गये निर्णय के संदर्भ में।

2– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

3– समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ईश्वर लाल)
उप महाप्रबन्धक (का0विनी)